

## अधिसूचना अंतर्गत माल और सेवा कर अधिनियम 2017

क्रमांक एफ ए-3- 13-2017-1 -पांच (26) भोपाल , दिनांक 22 जून 2017

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम , 2017 (क्रमांक 19 सन 2007 की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, एतद्वारा 22 जून, 2017 को उस दिनांक के रूप में नियत करती है , जिसको उक्त अधिनियम की धारा 1, 2, 3, 4, 5, 10, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 139,146 तथा 164 के उपबंध प्रवृत्त होंगे ।